

23
A

Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 1650 /DRA Dated 27 Sep 15.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 00-01-00 hecets of forest land proposed to be diverted in favour of I&PH Department for construction of **Water Tank** in Kangra Distt.falls within jurisdiction of Breh village in Dharmshala Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-01-00 hectares of forest land proposed for Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to -----.
- (b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications in vernacular/local) have been placed before (each) concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the ~~Kned~~ Gram Sabha has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Kaned enclosed as annexure...1
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.
- (g)



(Ritesh Chandra) IAS
District Collector
Kangra District
Kangra at Dharmshala

2011 (23) 6

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 27.8.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही ।

जिला स्तरीय समिती (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006) की बैठक दिनांक 27.8.2015 को श्री रितेश चौहान, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया । (सूचि सलग्न) बैठक में निम्नलिखित कार्य हेतु विभिन्न विभागों से उक्त एक्ट के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे आवेदन प्राप्त हुए ।

1 अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला ने महाल वगियाड़ा में वाटर टैंक के निर्माण हेतु उक्त प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है ।

2 सहायक अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 गगल ने लांझणी से नरघोटा सड़क के निर्माण हेतु आवेदन किया है ।

3 अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 धर्मशाला ने लिंक रोड़ खिड़कू खडौता के निर्माण हेतु आवेदन किया है ।

4 अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग शाहपुर ने निरिक्षण हट के निर्माण हेतु आवेदन किया है

5 अधिशाषी अभियन्ता उपरोक्त धर्मशाला डिविजन ने महाल ब्रैह में वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु आवेदन किया है ।

6 अधिशाषी अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला आई0 पी0 एच0 ने महाल रक्कड़ में वाटर टैंक के निर्माण हेतु आवेदन किया है ।

7 उक्त अधिकारी ने महाल नडडी में वाटर टैंक के निर्माण हेतु आवेदन किया है ।

22 अधिशाषी अभियन्ता देहरा ने वढल से धीमान वस्ती रोड़ के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

23 उक्त अधिकारी ने गुरालधार-नंगल वाया पटटी रोड़ के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

24 उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ द्वारा गावं मूलथान तथा बखलोग के अधिकारों को लेकर दावे इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । उपस्थित सदस्यों ने बताया कि उनके कुछ अधिकार राजस्व रिकार्ड में तय नहीं किये गये हैं जिन्हे एक्ट के तहत तय किया जावे । वन मण्डल अधिकारी पालमपुर ने बताया कि वन भू-व्यवस्था के दौरान सारे अधिकार राजस्व रिकार्ड में तय कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त जो एरिया वन्य प्राणी सैन्चुरी से वन विभाग को मिला है उसको मिलाकर पांच रेंजिज पालमपुर मण्डल में हैं उनमें प्रति वर्ष एक रेंज खोली जाती है तथा सम्बन्धित लोगों को मांगे गये परमिट विभिन्न प्रकार के परमिट भी दिये जाते हैं । वन मण्डल अधिकारी वन्य प्राणी हमीरपुर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैन्चुरी एरिया का यदि कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अधिकार के बारे में आवेदन देता है तो उसे मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी को स्वीकृति हेतू भेजा जाता है । इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी ने समिति को अवगत करवाया कि राजस्व रिकार्ड में अधिकतर अधिकारों को तय कर दिया गया है तथा शेष पर शीघ्र कार्यवाही करने बारे समस्त उपमण्डल अधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को पत्र जारी कर दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 1161/डी0आर0ए0 दिनांक 07.08.2015 द्वारा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सरकार हिमाचल प्रदेश से वन भूमि परिवर्तित करने बारे निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगी है:-

- 1 वन अधिकार अधिनियम 1980 के प्रावधानों के बिना वन भूमि को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत एक्ट 2006 की धारा 3(2) के अन्तर्गत परिवर्तित किया जा सकता है ।
- 2 क्या इस एक्ट के तहत वन भूमि परिवर्तित उसी क्षेत्र में होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी निवास करते हैं ।
- 3 क्या अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के प्रावधान स्वतन्त्र रूप से invoke हो सकते हैं या उन्ही क्षेत्रों में लागू होंगे जहां इस उपधारा

123

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL (C) DHARAMSHALA DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Act (FRA) 2006.

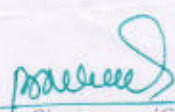
A meeting of the Sub-Division level Committee of Dharamshala under FRA, 2006 was held under the chairmanship/ Chairpersonship of Sh. Balbir Thakur SDO@ Dharamshala on 10/02/2015 at 10.30 AM at Dharamshala in which the application claiming rights in Dharamshala forest areas under FRA,2006, for diversion of land Khasra No 446/376/1 Area 0-01 00 hectare situated in Mohal Breh of Forest land for the construction of water tank of IPH Department under forest Division Dharamshala (Certificate of Gram Panchayat Kanned attached.) Of the following application duly processed and recommended by the forest Rights Committee of ---Nil--- Gramshaba were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application:

Since no application or objections have been received from Panchayat and at Sub-Division level from individuals, GPs or organization etc. Hence there was no application pending for any decision or recommendation till date, before the sub-Divisional level Committee.

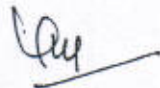
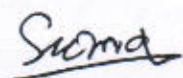
Place: Dharamshala

Date: 02/03/2015


SDO(Civil)-cum Chairman/Chairperson
Sub-Division level Committee
Sub-Division Dharamshala.

आज दिनांक 10/02/2015 प्रातः 10.30 बजे को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दूसरे वन अधिकारों पर प्रभाव ना पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमेटी की बैठक श्री वलवीर ठाकुर उपमण्डलाधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिस में निम्न लिखित मामलों की चर्चा की जानी है:-

- 1 महाल ब्रैह मौजा सिद्धवाडी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी का टैंक स्थापित करने हेतु मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की भूमि खाता न0 87 मिन खतौनी न0 197 मिन न0 खसरा 446/376/1 रकबा 0-01-00 है0 अर्जित की जानी है
- 2 महाल सुक्कड़ खास में हि0 प्र0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खण्ड चिकित्सा अधिकारी तियारा द्वारा उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि खाता न0 306 मिन खतौनी न0 418 मिन खसरा न0 1464/1045 रकबा 0-07-64 हैक्ट अर्जित की जानी है। जिस में उपरोक्त मामलों पर चर्चा की गई तथा कोई भी अनापति दावा बैठक में प्रस्तुत ना किया। तथा सर्व सम्मति से सभी मामलों को अनुमोदित किया गया।

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	नाम पद	हस्ताक्षर
1	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला	सदस्य	
2	तहसीलदार धर्मशाला	सचिव एवं सदस्य	
3	श्रीमति सीमां देवी पत्नी श्री गगन कुमार गांव नरवाणा डा0घर योल तह0 धर्मशाला	सदस्या	
4	कु0 नीलम पुत्री प्यारे लाल गांव व डाकघर रक्कड़ तह0 धर्मशाला	सदस्या	
5	श्री विक्रम सिंह पुत्र उज्जवल सिंह गांव व डाकघर नागनपट तह0 धर्मशाला हि0प्र0	सदस्य	


उपमण्डलाधिकारी (ना0)
धर्मशाला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम पंचायत कनेड
विकास खण्ड धर्मशाला

जिला कागड़ा (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव, 05.

गणपूर्ति 6/7

दिनांक 08/12/14

प्रस्ताव संख्या 05

विषय: I.P.H

विभाग/संस्था को W.S.S. RASAN, SIDHWARI
(MAHAL, BREMS)

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-08-00
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु

ग्राम पंचायत

की गई निराह 1.12.11
को निर्माण हेतु 0-08-00

उपेक्षा पंचायत वर कनेड
विभाग/संस्था को वायू प्रदूषण

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व संमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम पंचायत प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

पंचायत

ग्राम कनेड की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व संमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-08-00 हेक्टेयर वन भूमि को वायू निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम पंचायत कनेड की सहमति दी जाती है।

स्थान कनेड
दिनांक 08.12.14

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम समा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनेड
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कागड़ा (हि०प्र०)
01.09.12.14